शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : सुश्री राखी बिड़ला.

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 296

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	प्रश्नकर्ता द्वारा मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के विकास से संबंधित कौन कौन से एस्टीमेटस दिसम्बर 2017 से शहरी विकास विभाग में लम्बित हैं; पूर्ण विवरण क्या है;	**शहरी विकास(एम.एल.ए.लैड)** 13 दिसम्बर, 2017 के बाद शहरी विकास विभाग में मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के विकास से संबंधित 08 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से 06 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं और सिर्फ 02 प्रस्ताव लंबित हैं जिनकी अनुमानित लागत 68.28 लाख रूपये है।
ख	लगभग ढाई महीने बीतने के पश्चात भी उपरोक्त सारे एस्टीमेटस ग्राउण्ड पर नहीं आ पाने के क्या कारण हैं; पूर्ण विवरण क्या है;	**शहरी विकास(एम.एल.ए.लैड)** डूडा(उत्तर–पश्चिम), राजस्व विभाग से एम.एल.ए. लैड योजना की शेष राशि, शहरी विकास विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।
ग	क्या एस्टीमेस भेजने के पश्चात इसको क्लीयर होन की कोई टाइम लिमिट है,	**शहरी विकास(एम.एल.ए.लैड)** मौजूदा एम.एल.ए.लैड दिशानिर्देशों के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
घ	यदि हॉं, तो उसका विवरण क्या है;	**शहरी विकास(एम.एल.ए.लैड)** उपरोक्त 'ग' के संदर्भ में लागू नहीं है।
च	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और	**शहरी विकास(एम.एल.ए.लैड)** प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त उसका परीक्षण (Examination) किया जाता है। यदि उसमें कोई कमी होती है तो उसका निष्पादन एजेंसी (Executive Agency) से निराकरण कराया जाना आवश्यक हो जाता है।
छ	इतने लम्बे समय तक विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य न हो पाने का दायित्व किसका है?	**शहरी विकास(एम.एल.ए.लैड)** 13/12/2017 से पहले एम.एल.ए.लैड योजना डूडा द्वारा कियान्वित की जाती थी परन्तु इसके उपरान्त यह योजना शहरी विकास विभाग के द्वारा कियान्वित की जा रही है। डूडा से शेष धनराशि प्राप्त होने में समय लग रहा है।

R.S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat